

**(Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(6)11/2005-II,  
Dated 7<sup>th</sup> June, 2013 as required under Article 348(3) of the Constitution of India)**

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH  
DEPARTMENT OF FORESTS**

No. FFE-B-F(6)-11/2005-II/ Talra Dated Shimla-2, the 7<sup>th</sup> June, 2013

**NOTIFICATION**

Whereas a Notification under Section 26A of the Wildlife (Protection) Act, 1972(53 of 1972) was issued by the Government vide Notification No. FFE-B-F(6)21/99 dated 1.11.99, to declare **Talra as Wildlife Sanctuary** comprising an area of 40.00 sq.km;

And whereas, the matter with regard to rationalization of Wildlife Sanctuaries and National Parks in Himachal Pradesh was under consideration of the Hon'ble Supreme Court in IA No. 139/2010 in Writ Petition Civil No. 337 of 1995 titled Centre for Environmental Law, WWF-I Versus Union of India & Others;

And whereas, in pursuance to the Hon'ble Supreme Court order dated 7<sup>th</sup> May 2010, the State Government issued intention Notifications under Section 18 of the Wildlife (Protection) Act, 1972, in respect of the Wildlife Sanctuaries and National Parks for which rationalization had been proposed;

And whereas, intention Notification under section 18 (1) of Wildlife (Protection) Act, 1972 was issued vide Notification No. FFE-B-F(6)-11/2005 dated 28<sup>th</sup> July 2010 to include an additional area of 6.08 sq. km to the existing Talra Wildlife Sanctuary having an area of 40 sq. km;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court vide order dated 05/08/2011, further directed the State Government to follow the procedure laid down under Section 18 to 26A and 35 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 before issuance of final Notifications under Section 26A of the Wildlife (Protection) Act 1972, which procedure was duly followed;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court vide order dated 01/02/2013 passed in IA No. 155 (earlier IA No. 139/2010), has permitted the State Government to issue final Notifications under Sections 26A, 35(4) & 36A of the Wildlife (Protection) Act, 1972 with regard to the proposed rationalization of boundaries of Wildlife Sanctuaries and National Parks in Himachal Pradesh;

And whereas, as a consequence of rationalization of boundaries of Talra Wildlife Sanctuary, an additional area of 6.48 sq. km ( as per proclamation of Collector Shimla) is hereby included . The total area of 46.48 sq. km (40.00 sq. km + 6.48 sq. km) shall now constitute the Talra Wildlife Sanctuary after rationalization;

Now, therefore, the Governor Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in her under Section 26A of the Act ibid is pleased to declare the aforesaid area of 46.48 sq. km as '**Talra Wildlife Sanctuary**' with immediate effect for the purpose of protecting, propagating and developing wildlife and its environment;

The limits of Talra Wildlife Sanctuary shall be as under:

Sr. No.	Name of Wildlife Sanctuary	Constituents	Boundaries of Talra Wildlife Sanctuary
1.	<b>Talra WL Sanctuary</b>	i) Shimla ii) Shimla WL Division	<p><b>NORTH:</b> Northern boundary of the sanctuary starts from DPF Rawigarh C.5 to Bankot Tiba - Thanali Thach C.5 along Ashri Dhar C.6 - Retru Thach / Sabla Thach upto C.9 along Chhachpur Nallah upto C.12 and C.13 of Chhachpur (Rohru Division) and touches to C.11 touching C.14 (b) up to boundary of C.15 Reserve Forests of Rohru Forest Division. The entire boundary touches to Rohru Forest Division.</p> <p><b>EAST:</b> Boundary starts from C.15 RF alongwith Rohru Forest Division (C.17) upto Kashta (C.1) Forest boundary. The boundary falls between Rohru Forest Division and Uttrakhand State boundary.</p>

			<p><b>SOUTH:</b> Uttrakhand State territory and Khora Forests (Chopal Forest Division).</p> <p><b>WEST:</b> Separating Auli Dehat, Gurar Dehat, Sarach forests, Thanal forests, Rinja forest upto Lallon forest- Ravigarh forest C.6 and C.5 (top). Boundary as per scale 1:15000</p>
--	--	--	---

This area is situated within the Geo-coordinates **North** Lat.31° 03' 44" N & Long.77° 45' 21" E **East** Lat .31° 01' 56"N & Long .77° 48' 46" E, **South** 30° 58' 7" N& Long. 77° 45' 15" E, **West** Lat.31° 03'.02" N & Long. 77° 42' 36" E which falls on Survey of India topo sheet No. 53E/12, 53E/16, 53F/9 and 53F/13 on scale 1:50,000.

**Area of Talra Wildlife Sanctuary= 46.48 sq. km**

By Order


Principal Secretary (Forests) to the  
Government of Himachal Pradesh.

Endst. No As above  
Copy forwarded to:-

Dated Shimla-2 the

7<sup>th</sup> June, 2013

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
2. All the Divisional Commissioners, Shimla, Mandi & Dharamshala, H.P.
3. All the Heads of Departments of H.P.
4. The Principal Chief Conservator of Forests, H.P. Shimla-1
5. The Principal Chief Conservator of Forests, (Wildlife) H.P. Shimla-1.
6. All CCFs / DFOs (Wildlife) in H.P.
7. All the Deputy Commissioners in H.P.
8. All the CCFs/CFs /DFOs in H.P.
9. ALR-cum- Under Secretary Law to the Government of Himachal Pradesh.
10. The Commissioner, Municipal Corporation, Shimla.
11. The Controller H.P. Printing & Stationary Department Shimla-5 for publication in the Raj-Patra (Extra-ordinary) Five Copies of the Raj-Patra be sent to this Department.
12. Guard File.

  
Under Secretary (Forests) to the  
Government of Himachal Pradesh.

हिमाचल प्रदेश सरकार  
वन विभाग

संख्या: एफ.एफ.ई.-बी-एफ.(6)-11/2005-II तालरा तारीख शिमला-2 7 जून, 2013

अधिसूचना

सरकार ने वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 26क के अधीन अधिसूचना संख्या: एफ.एफ.ई.-बी-एफ.(6)-21/99 तारीख 1-11-1999 द्वारा 40.00 वर्ग किलोमीटर से समाविष्ट क्षेत्र तालरा को वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित करने की अधिसूचना जारी की थी;

और हिमाचल प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों के युक्तिकरण की बाबत मामला आईए सं० 139/2010 इन रिट पिटिशन सिविल सं० 337 ऑफ 1995 नामतः सेन्टर फॉर एनवारनमेंटल लॉ, डबल्यू डबल्यू एफ-I बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदरज में माननीय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन था;

और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश तारीख 7 मई, 2010 के अनुसरण में राज्य सरकार ने वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों, जिनके लिए युक्तिकरण प्रस्तावित किया गया था, की बाबत वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 के अधीन आशय अधिसूचनाएं जारी की थी;

और अधिसूचना संख्या: एफ.एफ.ई.-बी-एफ.(6)11/2005 तारीख 28 जुलाई, 2010 द्वारा तालरा वन्य जीव अभ्यारण्य के विद्यमान 40.00 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 6.08 वर्ग किलोमीटर का अतिरिक्त क्षेत्र सम्मिलित करने के लिए वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18(1) के अधीन आशय अधिसूचना जारी की गई थी;

और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश तारीख 5-8-2011 द्वारा, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क के अधीन अन्तिम अधिसूचनाएं जारी करने से पूर्व वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 से 26क और 35 के अधीन अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करने के लिए भी राज्य सरकार को निर्देश दिए गए, जिस प्रक्रिया का सम्यक् रूप से अनुसरण किया गया था;

और माननीय उच्चतम न्यायालय ने आईए न० 155 (पहले आईए न० 139/2010) में पारित आदेश तारीख 1-2-2013 द्वारा, राज्य सरकार को हिमाचल प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों की सीमाओं के प्रस्तावित युक्तिकरण की बाबत वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क, 35(4) एवं 36क के अधीन अन्तिम अधिसूचनाएं जारी करने को अनुमत किया है;

और तालरा वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाओं के युक्तिकरण के परिणामस्वरूप 6.48 वर्ग किलोमीटर (क्लक्टर शिमला की घोषणा के अनुसार) का अतिरिक्त क्षेत्र एतद्द्वारा सम्मिलित किया जाता है। युक्तिकरण के पश्चात् अब तालरा वन्य जीव अभ्यारण्य 46.48 वर्ग किलोमीटर (40.00 वर्ग किलोमीटर + 6.48 वर्ग किलोमीटर) से गठित होगा।

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वन्य जीव और इसके पर्यावरण के संरक्षण, प्रसारण या विकसित करने के प्रयोजन के लिए, 46.48 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को तुरन्त प्रभाव से तालरा वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करती हैं।

तालरा वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाएं निम्न प्रकार से होंगी:

क्रम संख्या	वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम	घटक i) जिला ii) वन मण्डल	तालरा वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाएं
1	तालरा	i) शिमला ii) शिमला (वन्य जीव मण्डल)	<b>उत्तर:</b> उत्तरी सीमा रावीगढ़ सी-5 से बानकोट टिब्बा-थनाली थाच सी-5 के साथ साथ अशरी धार सी-6 रेतारु थाच/सबला थाच से सी-9 छाजपुर नाला, सी-12 और सी-13 छाजपुर (रोहडू वन मण्डल) सी-11 और सी-14 (बी) से होती हुई सी-15 सुरक्षित वन रोहडू वन मण्डल तक जाती है। इसके बाद सारी उत्तरी सीमा रोहडू वन मण्डल सीमा से होती हुई जाती है।  <b>पूर्व:</b> सीमा संरक्षित वन सी-15 जोकि रोहडू वन मण्डल (सी.17)के साथ है से आरम्भ हो कर काश्टा सी.1 वन तक फिर रोहडू वन मण्डल व उतराखंड राज्य सीमा पर से जाती है।  <b>दक्षिण :</b> उतराखंड राज्य सीमा और खोरा वन

			<p>चौपाल मण्डल तक ।  <b>पश्चिम:</b> ओली देहात, गुरार देहात, सराच वन, थनाल वन, रींजा वन को बाहर करते हुए लालों वन व रावीगढ़ वन सी.6 और सी.5 की चोटी तक ।  सीमा पैमाना 1:15,000 के अनुसार</p>
--	--	--	---

इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति: उत्तर अक्षांश 31° 03' 44" उत्तर और देशान्तर 77° 45' 21" पूर्व । पूर्व अक्षांश 31° 01' 56" उत्तर और देशान्तर 77° 48' 46" पूर्व । दक्षिण अक्षांश 30° 58' 07" उत्तर और देशान्तर 77° 45' 15" पूर्व और पश्चिम अक्षांश 31° 03' 02" उत्तर और देशान्तर 77° 42' 36" पूर्व । यह क्षेत्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग की टोपो शीट नम्बर 53ई/12 व 53ई/16 और 53एफ/9 और 53एफ/13, (पैमाना 1:50,000) पर दर्शाया गया है ।

**क्षेत्रफल: 46.48 वर्ग कि०मी०**

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (वन)  
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि ।

दिनांक शिमला-2, 7 जून, 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश-शिमला-2
2. सभी मण्डलायुक्त, शिमला, मण्डी व धर्मशाला मण्डल हिमाचल प्रदेश ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
4. प्रधान मुख्य अरण्यपाल हिमाचल प्रदेश शिमला-1
5. प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन्य प्राणी) हिमाचल प्रदेश-शिमला-1
6. समस्त मुख्य अरण्यपाल/ वनमण्डलाधिकारी (वन्य प्राणी) हिमाचल प्रदेश ।
7. समस्त जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश ।
8. समस्त मुख्य अरण्यपाल/अरण्यपाल/वनमण्डलाधिकारी, (क्षेत्रीय) हिमाचल प्रदेश ।
9. सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार ।
10. आयुक्त नगर निगम शिमला हिमाचल प्रदेश ।
11. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-5 को राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु । कृपया इसकी पांच अतिरिक्त प्रतियां छापी जावें ।
12. गार्ड फाइल ।


अवर सचिव (वन)  
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि।

दिनांक शिमला-2, 7 जून, 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश-शिमला-2
2. सभी मण्डलायुक्त, शिमला, मण्डी व धर्मशाला मण्डल हिमाचल प्रदेश ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
4. प्रधान मुख्य अरण्यपाल हिमाचल प्रदेश शिमला-1
5. प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन्य प्राणी) हिमाचल प्रदेश-शिमला-1
6. समस्त मुख्य अरण्यपाल/ वनमण्डलाधिकारी (वन्य प्राणी) हिमाचल प्रदेश ।
7. समस्त जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश ।
8. समस्त मुख्य अरण्यपाल/अरण्यपाल/वनमण्डलाधिकारी, (क्षेत्रीय) हिमाचल प्रदेश ।
9. सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार ।
10. आयुक्त नगर निगम शिमला हिमाचल प्रदेश ।
11. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-5 को राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु । कृपया इसकी पांच अतिरिक्त प्रतियां छापी जावें ।
12. गार्ड फाइल ।

  
अवर सचिव (वन)  
हिमाचल प्रदेश सरकार ।